न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी डॉ. नीरज के. पवन, आई.ए.एस

अपील संख्याः 133/2022 एल.आर.एक्ट

GCMS No. 2022/158

1. इन्द्रसिंह
2. रतनसिंह
3. शारदा कंवर
4. मंजू कंवर

पिसरान स्व. अमरसिंह पुत्र लाभूसिंह जाति राजपूत निवासी कानासर हाल आबाद विश्वकर्मा मन्दिर के पास, सर्वोदय बस्ती, पूगल रोड़, बीकानेर जरिये मु.आम श्री इकबाल हुसैन समेजा पुत्र श्री हाजी फैज मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी रानी बाजार, बीकानेर।

—— अपीलान्ट्स

बनाम

1. सरस्वती देवी
2. धापू देवी
3. मोहनी देवी

पुत्रीयां लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत निवासी बीकानेरं

4. धन्नेसिंह
5. मगेजसिंह
6. मैना कंवर

पिसरान सोनाकंवर पुत्री लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत निवासी बीकानेर।

7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बीकानेर।

—— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री राजेश बैद — अभिभाषक अपीलांट्स
मोहम्मद इम्तियाज अली — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांक 24.11.2022

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर के इंतकाल संख्या 498 दिनांक 27.12.2007 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त कृषि भूमि मौजारोही चकगर्बी के राजस्व खसरा नं. 6 तादादी 143.03 बीघा खाम जिनके उपनिवेशन खसरा नं. 36 तादादी 85.15 बीघा पुख्ता हुए। उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक किशनीयां उर्फ किशन सिंह वल्द लालू जाति राजपूत साकिन बीकानेर के नाम से खातेदारी थी। किशन सिंह ने वादग्रस्त भूमि को अपने बड़े भाई के पुत्र अमरसिंह पुत्र लाभूसिंह के पक्ष में दिनांक 03.01.1988 को नॉटेरी पब्लिक से प्रमाणित वसीयत निष्पादित कर कब्जा भी सौप दिया। खातेदारी किशनसिंह का स्वर्गवास दिनांक 02.12.1993 को हो गया।

तत्पश्चात अमरसिंह दिनांक 03.12.2007 को तहसीलदार बीकानेर के समक्ष वसीयतन इन्तकाल दर्ज करने का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। समाचार पत्र में आपत्ति आमन्त्रित करने हेतु राजस्थान पत्रिका दिनांक 05.12.2007 के अंक में आम सूचना प्रकाशित हुई। जिस पर बूलाकीसिंह व विजयसिंह की ओर से आपत्तियां प्रस्तुत की गई। जिस संबंध में न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर ने दिनांक 20.02.2009 को अपीलान्टस के पिता स्व. अमरसिंह के पक्ष में नामान्तरण दर्ज करने का आदेश दिया। उपरोक्त समस्त परिस्थितियों के रहते हुए अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर ने इंतकाल संख्या 498 दिनांक 27.12.2007 रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 6 के नाम दर्ज कर दिया। उक्त इंतकाल संख्या 498 दिनांक 27.12.2007 से व्यथित होकर अपीलांट्स ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2– अपील अपीलांट रेस्पोडेंट 1 ता 6 के निमित अखबार साया के आदेश होने पर अभिभाषक अपीलांट ने दिनांक 05.11.2022 को दैनिक भास्कर बीकानेर में अखबार साया करवाकर अखबार की मूल प्रति प्रस्तुत की। आज दिनांक तक रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 6 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 6 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। अपील के संलग्न मियाद अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर अपील को मियाद में शुमार किया जाता है।

3– विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री राजेश बैद ने अपनी बहस में कथन किया है कि वादग्रस्त कृषि भूमि मौजारोही चकगर्बी उपनिवेशन खसरा नं. 36 तादादी 85.15 बीघा किशनसिंह के नाम से खातेदारी थी। किशन सिंह ने वादग्रस्त भूमि को अपने बड़े भाई के पुत्र अमरसिंह पुत्र लाभूसिंह के नाम से वसीयत निष्पादित कर कब्जा भी सौप दिया। खातेदारी किशनसिंह का स्वर्गवास के बाद अमरसिंह ने तहसीलदार बीकानेर के समक्ष वसीयतन इन्तकाल दर्ज करने का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर ने अपीलान्टस के पिता स्व. अमरसिंह के पक्ष में नामान्तरण दर्ज करने का आदेश दिया। उपरोक्त परिस्थितियों के रहते हुए अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर ने इंतकाल संख्या 498 रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 6 के नाम दर्ज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना जांच किये मनमाने व स्वेच्छाचारी तरीके से पारित किया है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 6 मूल खातेदार किशन सिंह पुत्र लालू के कानूनी वारीसान नहीं है। अपीलांटस के पिता एवं अपीलांटस खातेदार किशन सिंह के जायज व कानूनी वारीसान है। अपीलाधीन आदेश के दौरान उक्त वादगत भूमि का वसीयत इंतकाल प्रकरण संख्या 28/2007 अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर के समक्ष विचारधीन था। अपीलाधीन आदेश बिना पक्षकार को सुने एवं एकतरफा पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाते हुए वादगत भूमि अपीलांटस के नाम आदेश दिनांक 20.02.2009 की पालना में, दर्ज करने के आदेश फरमाया जावें।

4— राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर ने इंतकाल संख्या 498 दिनांक 27.12.2007 नियमानुसार प्रक्रिया अपनाकर पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर का आदेश दिनांक 27.12.2007 उचित है अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

5— हमने अधिनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर द्वारा पारित इंतकाल संख्या 498 दिनांक 27.12.2007 उचित प्रतीत नहीं होता। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर को निर्देशित किया जाता हैं कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर के आदेश दिनांक 20.02.2009 की पालना सुनिश्चित की जावें।

6— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 24.11.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर